21/06/17 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी 1,2 के अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी-1 की ओर से जवाब पेश हुआ। जिसकी प्रति वकील प्रार्थी को दी गई। बहस सुनी गई।

प्रार्थीपक्ष/गैर निगरानी कर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में बतलाया कि पंचायतराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत निग[illegible] मोहनसिंह बनाम उच्छबकंवर का केस अति. कलक्टर (तृतीय) जोधपुर में विचाराधीन है तथा वर्तमान पीठासीन अधिकारी से हमें न्याय मिलने की संभावना नहीं है तथा

जिला क

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रकरण सं. 08/2017 प्रवीणकंवर बनाम मोहनसिंह	
21.06.17	उक्त निगरानी को अन्यत्र मुंतकिल कराने के तथ्यों का उल्लेख इस प्रार्थना पत्र में किया जा चुका है अतः निगरानी किसी अन्य न्यायालय या इस न्यायालय में सुनवाई करने के लिए मुंतकिल करने का आदेश दिया जावे।	
	अप्रार्थी सं.1/निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने बहस में बतलाया कि राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994 में पंचायत निगरानी को स्थानान्तरण करने का कोई प्रावधान नहीं है इस कारण से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से निरस्त किया जावे। बहस में आगे बतलाया कि निगरानी में प्रार्थीया/गैर निगरानीकर्ता जानबूझकर प्रकरण को लम्बित करना चाहते है तथा पीठासीन अधिकारी पर निगरानीकर्ता का प्रभाव का गलत आरोप लगाकर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है अतः प्रार्थना पत्र निरस्त करने की इस्तदुआ की।	
	हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। प्रस्तुत हस्तगत प्रकरण में पीठासीन अधिकारी (अपर कलक्टर, तृतीय जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट भी ली गई। उन्होंने रिपोर्ट में बतलाया कि पीठासीन अधिकारी का दोनों पक्षकारान से कोई पहचान नहीं रखते है, न प्रभाव में है तथा निगरानी का स्थानान्तरण अन्य न्यायालय	

मुकदमा सं. 08/2017 प्रवीणकंवर बनाम मोहनसिंह

ने स्थानान्तरित किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

चूंकि राज. पंचायतीराज अधिनियम में पंचायत निगरानी को स्थानान्तरित करने के प्रावधान नहीं दिये है, परन्तु जिला कलक्टर जिले के राजस्व अधिकारियों का वरिष्ठतम राजस्व अधिकारी होने से पर्यवेक्षण अधिकार उनके क्षेत्राधिकार में आते है। अति कलक्टर तृतीय जोधपुर को विभिन्न प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार जिला कलक्टर द्वारा निर्धारित किया हुआ है, जबकि जिला कलक्टर को जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र में आने वाले केसे प्रकरणों की सुनवाई करने अधिकार प्रदत है। अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष यह तथ्य प्रकट हुआ है कि अति कलक्टर तृतीय जोधपुर न्यायालय के समक्ष विचाराधीन पंचायत निगरानी संख्या 11/2009 मोहनसिंह बनाम उज्जवलकंवर वगैरा में प्रार्थीपक्ष/गैरनिगरानीकर्ता को वर्तमान पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने की संभावना नहीं है ऐसी स्थिति में इस प्रकरण को उसी न्यायालय में सुनवाई के लिए रखा जाना, उचित नहीं समझते है, अतः न्यायहित में प्रार्थीपक्ष का प्रार्थना-पत्र स्वीकार करते हुए पंचायत निगरानी 11/2009 मोहनसिंह बनाम उज्जवलकंवर वगैरा को सुनवाई के लिए अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में स्थानान्तरित करने का आदेश

किस्म मुकदमा __________ नं. __________ सन् __________

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर अ हुक्म
	दिया जाता है। अति. कलक्टर तृतीय जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण तुरन्त इस न्यायालय को प्रेषित कर दिया जाय। आदेश की प्रति अति. कलक्टर तृतीय जोधपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल अभिलेख हो।	